न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 06/2018

बउनवान

मस्तराम किराड आयु 32 वर्ष पुत्र श्री जानकीलाल जाति–किराड निवासी–नारायणखेडा पेशा–उचित मूल्य दूकानदार ग्राम–नारायणखेडा ग्राम पंचायत खुशियारा पं0स0 शाहबाद जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री ओमप्रकाश मेहता II, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 28.01.2019

1 अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 27.11.2017 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व बिना साक्ष्य का अवसर दिये मनमाना एवं विधि विरूद्व आदेश पारित किया [illegible] विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। [illegible] शिकायत प्राप्त हुई तो अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलंबित [illegible] जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना [illegible] पर हीं प्राधिकार पत्र निलंबित करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] अधिकारी, बारां द्वारा बिना प्राधिकार निलम्बित किये व बिना जॉच [illegible].2017 को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 9,11,17(ग) का उल्लंघन किये जाने पर खण्ड 8 क व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, प्राधिकार पत्र संख्या 51/12 निलंबित करने के स्थान पर निरस्त कर दिया गया। [illegible] अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को नोटिस जारी कर विधिवत सुनवाई [illegible] क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2017 को हीं [illegible] जिसमें वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उसी पंचायत की डीलर श्रीमती [illegible] अधिकृत किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में फर्द मौका रिपोर्ट 23.8.2017 के संदर्भ में सम्पूर्ण जॉच होना चाहिये थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लाईट [illegible] नहीं होने के कारण पोस मशीनों से समय पर राशन सामग्री दिये जाने में काफी असुविधा होती है। इस प्रकार कई मर्तबा ऑन लाईन रिकार्ड में इन्द्राज तो कर दिया जाता है लेकिन राशनकार्ड में इन्द्राज होने से रह जाने के कारण राजनैतिक भावना के तहत झूठी शिकायत करने पर अपीलांट का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से जिला रसद अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 27.11.2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

2— फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.08.2017 में गुलाबचन्द की मृत्यु होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को उसका राशनकार्ड निरस्त करना चाहिये था। उचित मूल्य दूकान पर तो राशनकार्ड के सदस्यो को देखकर राशन सामग्री दी जाती है। इसी प्रकार अन्य राशनकार्डधारियों को भी राशनसामग्री नियमानुसार दी गयी है व उसका ऑन लाईन रेकार्ड के अनुसार इन्द्राज किया गया है। इसके विरूद्व राजनैतिक द्वेषतावश झूठी शिकायत की गई है तथा बिना जॉच किये व बिना साक्ष्य का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 निरस्त फरमाया जाकर, प्राधिकार पत्र संख्या 51/2012 उचित मूल्य दूकानदार नारायणखेडा का बहाल किया जाकर, सप्लाई व्यवस्था अपीलांट को दिलाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

3— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

4— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम नारायणखेडा ग्राम पंचायत खुशियारा तहसील शाहबाद का उचित मूल्य दुकानदार है जिसका अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा प्राधिकार पत्र दिनांक 27.11.2017 को निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं एवं साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलांट के विरूद्व ग्राम के [illegible] राजनैतिक दैषता रखते है। जिनने उसके विरूद्व रसद विभाग में [illegible] थी। इसी आधार पर उसका प्राधिकार पत्र बिना सुनवाई के [illegible] 07.09.201[illegible] को निलम्बित किया जाकर, अटेचमेंट डीलर निर्मला शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार खुशियारा को किया गया। रसद विभाग द्वारा इस शिकायत के [illegible] 23.08.2017 को प्रवर्तन अधिकारी, बारां से जॉच करायी गयी। [illegible] रिपोर्ट का अवलोकन कराते हुये व्यक्त किया कि जिन उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की गयी थी, वे मौके पर नहीं मिले है। तत्पश्चात् राजनैतिक दबाव में गांव के [illegible] व्यक्ति जो उससे द्वेषता रखते है, उनके राशनकार्डो की जॉच [illegible] उसके विरूद्व गिर्राज मेहता, ललिता, प्रकाश, गुलाबन्द, मदन [illegible]लाल के राशनकार्ड में राशनकार्ड में एन्टी नहीं होने का [illegible] संबंधित उपभोक्ताओं को पोस मशीन से राशन सामग्री को [illegible] तथा संबंधित द्वारा भी राशन सामग्री देने से इन्कार नहीं किया गया है। रसद विभाग द्वारा मौके पर स्टॉक व वितरण में कोई अनियमितता नहीं [illegible] है। [illegible] लाईसेंस निलम्बित करने से बाद मौके पर दिनांक 31.10.2017 को शेष स्टॉक पोस मशीन को अटेचमेंट डीलर को सम्भला दिया था। अपीलांट के विरूद्व कोई आरोप प्रमाणित नहीं है जिनके आधार पर उसका

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लाईसेंस निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझ पर, बिना किसी आधार के उसका लाईसेंस निरस्त किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5— अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर, अपीलांट को बिना सुनवाई किये दिनांक 07.09.2017 को प्राधिकार पत्र निलम्बित करने के उपरान्त दिनांक 1.09.2017 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। नोटिस की अपीलांट को कोई तामील नहीं हुई है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में अपीलांट को बिना सूचना व जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना, अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है, जबकि उसके विरूद्व कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निरस्तीकरण का आदेश एकतरफा, मनमाना एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.11.2017 निरस्त किया जाकर, अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 51/2012 तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाकर, रसद सप्लाई चालू की जावे।

6— इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि ग्रामवासियान् की अपीलांट डीलर के विरूद्व लगातार शिकायत प्राप्त हुई है कि डीलर द्वारा राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की जा रहीं है। ग्रामीणों को गाली गलोच करता है तथा दुर्व्यवहार रखता है तथा राशन समय पर नहीं देता है जिसकी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा भी दिनांक 23.08.2017 को मौके पर जॉच की जाकर, फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गयी जिससे पाया जाता है कि डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशनसामग्री वितरण का राशनकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं को राशन सामग्री कम देता है। इसकी पुष्टि होने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

7— [illegible] अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर [illegible] अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपी[illegible] कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र बि[illegible]रफा कार्यवाहीं करते हुये, निरस्त किया है। जबकि उसके स्टा[illegible] में कोई अनियमितता नहीं है। इसके विपरीत रेस्पों0 पेरोकार रस[illegible] है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त आरोप प्रमाणित होने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्रामवासियान् द्वारा अपीलांट के विरूद्व जिला रसद अ[illegible]क शिकायत की गयी है, जिसकी प्रवर्तन अधिकारी, बारां [illegible] को जॉच की गयी है। अनियमितताओं को आधार पर दि[illegible] प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट [illegible] पाया जाता है डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशनकार्ड पर जिन राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण की गयी है, उनके राशन[illegible] इन्द्राज नहीं है, जबकि डीलर का कथन है कि उसके द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरित की गयी है, जो पोस मशीन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के वितरण से प्रमाणित है। चूकि यह स्पष्ट है कि प्रवर्तन अधिकारी, बारां द्वारा जॉच में जिन उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में वितरण का इन्द्राज नहीं होना बताया है, उसका पोस मशीन में वितरण किया गया है, जबकि पोस मशीन में तभी वितरण दर्शाया जा सकता है, जब उपभोक्ता स्वंय या उसका प्रतिनिधि स्वंय उपस्थित होकर, राशन सामग्री प्राप्त करे। इस प्रकार यह जाहिर है कि संबंधित उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण हुआ है। अपील में अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व उसे सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नहीं दिया गया है, उसके विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित किया है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2017 को अपीलांट के विरूद्व विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, किन्तु नोटिस की अपीलांट को कोई तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस जारी करने के बाद सुनवाई व जवाबदेहीं का कोई अवसर नहीं दिया गया है।

8— इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना साक्ष्य सबूत किये, अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 51/2012 दिनांक 27.11.2017 को निरस्त किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से भी पाया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में राशन सामग्री वितरण के इन्द्राज नहीं किये गये है, उनको पोस मशीन से वितरण होना प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है, जिससे इस तथ्य को बल मिलता है कि अपीलांट द्वारा संबंधित राशनकार्ड उपभोक्तओं को राशनसामग्री का वितरण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नहीं देकर, प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कानूनी भूल की है।

9— अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा अपीलांट के विरूद्व जारी प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण आदेश दिनांक 27.11.2017 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 51/2012 बहाल किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28[illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

([illegible] सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official